पत्र सं0–आ0सं0 परिपत्र/2018–19/701

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक : 18 दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के परिपत्र सं0–16 (4)/परिपत्र सामान्य–2003–04/85 व्यापार कर दि0–19.05.2003, परिपत्र सं0–आ0स0–परिपत्र–16 (4)/2007–08/853/व्यापार कर दि0–19.10.2007 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों द्वारा वाणिज्य कर जोन से सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन/सेवा सम्बन्धी मामलों एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभों का जोनल कार्यालय में तैनात सम्प्रेक्षक से परीक्षण कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त दिए गए निर्देशों के उपरान्त भी संज्ञान में आया है कि विभिन्न जोनों द्वारा अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कार्मिकों के वेतन/सेवा सम्बन्धी मामलों का जोन में तैनात सम्प्रेक्षक से परीक्षण नहीं कराया जा रहा है जिससे कार्मिकों को त्रुटिपूर्ण वेतन/सेवा लाभ के सम्बन्ध में निरन्तर प्रत्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का उचित एवं समयान्तर्गत निस्तारण न होने से कार्मिकों में रोष व्याप्त होता है। शासनादेश सं0–1375/21 नवम्बर, 2016 द्वारा कार्मिकों के वेतन निर्धारण/उनके देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनाने एवं उसकी जांच उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतः निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जोन के समस्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं सेवा सम्बन्धी मामलों में जोनल स्तर पर तैनात सम्प्रेक्षक से परीक्षण कराने के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जाय। यदि किन्हीं मामलों में मुख्यालय/शासन से मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो ऐसे मामलों में अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति के साथ प्रकरण स्थापना अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को संदर्भित किया जाय।

17/12/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0 व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित –

1. एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ।
3. ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना राजपत्रित) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
4. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त डिप्टी/असिस्टेंट कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

3294 19/12/18

18/12/2018

AC(ST) 19.12.18